क्रमांक 5559-1 जी. एस. 1-73/26739.

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, अम्बाला तथा हिसार मण्डल के आयुक्त,
सभी उपायुक्त तथा उपमण्डल अधिकारी, हरियाणा ।
2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च नयायालय, चण्डीगढ़ तथा
सभी जिला एंव सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 31 अक्तूबर, 1973.

विषय--निलम्बित कर्मचारियों के मामलों को शीघ्र निपटाये जाने के बारे में हिदायतें ।

महोदय,

मुझे आदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर संयुक्त पंजाब सरकार के परिपत्र क्रमांक 3624-4 जी. एस.-61/14507, दिनांक 21-4-61 में जारी की गई हिदायतों की ओर आपका ध्यान दिलाऊं जिनमें अन्य बातों के अतिरिक्त यह कहा गया था कि दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध की जा रही जांचों की प्रगति पर विशेष ध्यान रखा जाये ताकि ऐसे मामलों में अन्तिम निर्णय करने में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो । इस पत्र में यह भी कहा गया था कि जांच की कार्यवाही 6 महीने के अन्दर पूरी की जानी चाहिये ।

2. पब्लिक एकाउन्टस कमेटी की दूसरी रिपोर्ट के पैरा-10 में इस संबध में एक केस ध्यान में लाया गया है जिसमें जांच को पूरी करने तथा दोषी कर्मचारी को दण्ड देने में 5 वर्ष का समय लगा और देरी मुख्यत: इस कारण हुई कि बार-बार जांच अधिकारी बदले गये और जांच बार-बार नये सिरे से शुरू की गई। जिस केस का उक्त रिपोर्ट में वर्णन किया गया है वह सम्भवत: इस प्रकार का अकेला केस नहीं है । पब्लिक एकाउन्टस कमेटी द्वारा प्रकट किये गये विचारो को ध्यान में रखते हुए यह उचित समझा गया है कि यह बात सभी सक्षम अधिकारियों के ध्यान में लायी जाये कि विभागीय जांचों के दौरान जांच अधिकारी यथासम्भव बदले नहीं जाने चाहियें जांच अधिकारी को बदलने का प्रश्न तभी उठना चाहिये जब उसके लिये ठोस कारण उपलब्ध हों जैसे कि सम्बन्धित अधिकारी किसी खास official capacity में जांच कर रहा हो या जब यह प्रतिनियुक्ति/ट्रेनिंग पर राज्य से बाहर चला जाये या रिटायर हो जाये आदि। केवल इसी आधार पर कि उसकी नियुक्ति किसी अन्य पद/विभाग में की गई है, उसे जांच अधिकारी के पद से नही बदलना चाहिए । उदाहरण के तौर पर यदि कोइ एच0 सी0 एस0/आई0ए0 एस0 का अधिकारी कृषि विभाग में कार्य करते हुए कोई जांच कर रहा था और बाद में उसका तबादला उद्योग विभाग में हो जाता है तो वह उद्योग विभाग में कार्य करते हुए सम्बन्धित जांच पूरी कर सकता है। निकट भविष्य में रिटायर होने वाले अधिकारियों को भी जांच अधिकारी यथासम्भव न गगाया जाये ।

हस्ता/—
उप-सचिव, राजनेतिक एवं सेवाए,
कृते; मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है ; वित्तयायुक्त राजस्व, हरियाणा तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव, ।